राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88/2023/125 दिनांक : 26/5/23

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग शिक्षण संस्थानों द्वारा दायर विभिन्न एकलपीठ याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों की पालना में एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अनुसरण में निम्नलिखित संस्थाओं को उनसे संबंधित याचिकाओं में **पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन** जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022–23 में निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल किया जाता है :–

क.स.	संस्थान का नाम	राज्य सरकार का पत्र दिनांक	याचिका क्रमांक/दिनांक	कुल सीट
01	महात्मा गांधी जनरल नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, बगराना, कानौता, जयपुर।	क्रमांक प.24(17)चिस्वा/ग्रुप–3/2014 जयपुर दिनांक 29.03.2023	8830/2022 दिनांक 08.07.2022	50
02	श्री बालाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग, जोधपुर	क्रमांक प.24(46)चिस्वा/ग्रुप–3/2012 जयपुर दिनांक 29.03.2023	18318/2022 दिनांक 24.01.2023	50
03	एस0टेक0 कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भीलवाडा	क्रमांक प.35(01)चिस्वा/ग्रुप–3/2023 जयपुर दिनांक 28.04.2023	12980/2022 दिनांक 08.09.2022	50

उक्त सभी संस्थाओं के अनापत्ति पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट– जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2022–23 की काउंसलिंग में अस्थाई तौर पर सीटों में बढोतरी कर छात्र आवंटन करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो माननीय न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यधीन होगी।

sd/-

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी–88/2023/125 दिनांक : 26/5/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज. जयपुर को उनके निम्न वर्णित पत्र क्रमांको के क्रम।
02. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
03. उप प्रबंधक, (टेक्नीकल) राज कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु।
04. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान निजी नर्सिंग स्कूल्स फैडरेशन, ई–277, नई विधानसभा के पीछे, लाल कोठी योजना, जयपुर।
05. सचिव/समन्वयक प्राईवेट फिजियोथैरेपी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूशंस फैडरेशन ऑफ जयपुर 17, मोतीलाल अटल रोड, संगम होटल, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
06. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बधित निजी नर्सिंग संस्थानों को।
07. प्रभारी,सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2022–23 में अपलोड करने का श्रम करें।
08. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर